[का]र्यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[पत्रावल]ी/[सूच]ना–पत्र संख्या :–240/2022 दायर दिनांक 30.09.2022

CMS NO:- 2022/423

पीठासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. नगरपालिका मण्डल नैनवां जिला बून्दी द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नैनवा जिला बून्दी

–प्रार्थी–

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. जयपुर विधुत वितरण निगम(राजस्थान राज्य विधुत मण्डल बून्दी) द्वारा सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल नैनवां जिला बून्दी(राज0)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 131,136 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भारत भूषण गौतम।

निर्णय दिनांक 24.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 4503 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है जिसका इन्द्राज भू–बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2047 तक में हो रहा है। यह कि खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विभाजन होकर उक्त भूमि खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 0.03 बिस्वा (0.0243 हैक्टर) एवं खसरा संख्या 6255/4503 रकबा 0.3721 हैक्टयर के रूप में विभाजन हो गयी। खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 0.03 बिस्वा (0.0243 हैक्टयर) भूमि जमाबंदी में निवास या वास (चरागाह के लिये नही) के रूप में दर्ज है जबकि खसरा संख्या 6255/4503 रकबा 0.3721 हैक्टयर भूमि (गे.मु. भवन) अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी मे जमाबंदी में दर्ज है। उक्त दोनों खसरा संख्या का योग 2 बीघा 09 होता है जबकि सेटलमेंट जमाबंदी में दर्ज रकबे के मुताबिक दोनों का योग 4 बीघा 05 बिस्वा होना चाहिए। यह है कि खसरा संख्या 4503 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा है जबकि उक्त खसरा संख्या 4503 का विभाजन होने पर खसरा 4503 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा संख्या 6256/4503 रकबा 0.6634 हैक्टयर हो गया। जो 9 बीघा 10 बिस्वा हो रहा है जबकि सेटलमेंन्ट जमाबंदी के मुताबिक दोनो का योग 7 बीघा 14 बिस्वा होना चाहिये। खसरा संख्या 6256/4503 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी मे जमाबंदी में दर्ज है। यह है कि खसरा संख्या 4503 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी में जमाबंदी में दर्ज है जो गे0मु0 आबादी भूमि है। खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि भी गे0मु0 आबादी दर्ज है जो खसरा संख्या 6255/4503, 6256/4503 की भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम जमाबंदी में दर्ज है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 6256/4503 एव खसरा संख्या 6255/4503 की डी.आई.एल.आर.एम.पी. तरमीम राजस्व नक्शे मे करते वक्त एक दूसरे नम्बर के विपरित स्थान पर तरमीम हो जाने से उक्त तरमीम पूर्ण अवैध, अनाधिकृत अनुचित एव मौके की स्थिति के विपरित होने से निरस्तनीय है। तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। गलत तरमीम हो जाने से उक्त खसरा संख्या के रकबे का मिलान भी सही तरीके से नही हो रहा है। उक्त तरमीम को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 से 01.09.2022 को निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जो वाद का कारण है। यह कि वर्तमान राजस्व नक्शे मे हो रही तरमीम का इन्द्राज दुरूस्त कर खसरा संख्या 6256/4503 के स्थान पर खसरा संख्या 6255/4503 एवं खसरा संख्या 6255/4503 के स्थान पर खसरा संख्या 6256/4503 की तरमीम मय रकबा के सही दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नैनवा प्रथम तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0 की कृषि भूमि खसरा संख्या 4503/5734 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या ... रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 08 बिस्वा है। जिला कलक्टर महोदय के पत्र क्रमांक 18/93 दिनांक 17.05.1993 के अनुसार 99 वर्ष की लीज पर आवंटित हुई थी इससे पूर्व से ही वर्ष 1984–85 से यह भूमि सब ग्रिड स्टेशन नैनवा को दी गई थी तब से ही जिस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा संभलाया था उसी पर अप्रार्थी संख्या 2 का उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। जहा पर सब ग्रिड स्टेशन बना हुआ है तथा कार्यालय के भवन आदि बने हुए है जिसका गेट नैनवा उनियारा रोड के पास हो कर बना हुआ है। कालान्तर में इस भूमि को 6255/4503 किता 0.3721 हैक्टयर एव खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:10:58 IST
Reason: SelfAttested

/4503 रकबा 0.6634 हैक्टयर गैर.मु. भवन प्रत्यार्थी संख्या 2 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बून्दी के खाते में दर्ज की गई है। यह है कि सन् 1996–97 में अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त वर्णित भूमि में गेट ला था तब प्रार्थी नगर पालिका नैनवां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 22.01.1997 अन्तर्गत धारा 3 नगर पालिका अधिनियम के तहत नोटिस दिया था जिसका जवाव तत् समय अप्रार्थी संख्या 2 ने दे दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नगर पालिका नैनवां एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. के मध्य आराजी खसरा संख्या 4503, 4503/5734 को लेकर अरसे दराज से विवाद चला आ रहा है। इस संबंध में दिनांक 17.02.1997 को उभय पक्ष की मौजूदगी में नाप चौप किया था एवं शेष 2 बीघा 06 बिस्वा भूमि सिवाय चक एवं 6 बीघा 08 बिस्वा भूमि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. के नाम बताई थी। भूमि खसरा संख्या 4503 में रकबा 4 बिस्वा रकबे पर पी.एच.ई.डी. नैनवां की टंकी मौके पर मौजूद है जिसमें नजरी नक्शा हरे निशान से आर.एस.ई.बी. नक्शे में बताई थी और पीली स्याही से नगर पालिका नैनवां द्वारा विक्रित अथवा आम जनता द्वारा तामीर शुदा भूमि बताई गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी नगर पालिका नैनवां एवं अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित भूमि के संबंध में वर्षो से सीमा विवाद चला आ रहा है। इसलिए जब तक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमियों का सीमांकन सुनिश्चित नही हो जाता तब तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि प्रार्थी नगर पालिका नैनवां द्वारा इसके खाते में दर्ज भूमि की आड में उसने विवादित भूमि में से उनियारा रोड से सहारे–सहारे अन्य लोगों को मकानों, दुकानो को आवंटित करके निर्माण की अनुमति दे दी है तथा प्रार्थी उसके खाते में भी उसी इन्द्राज के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से तरमीम करवाकर अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि को बिना सीमाये सुनिश्चित करवाये प्रत्यार्थी संख्या 2 की भूमि को हड़पना चाहती है। इसी दुर्भावना से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाव के समर्थन में प्रमाणित प्रति पत्र क्रमांक 18/93 दिनांक 17.05.1993 कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी, प्रमाणित प्रति नोटिस नगरपालिका नैनवां कं0 07/3204 दिनांक 22.01.1997, प्रमाणित प्रति जवाब कार्यालय सहा0 अभि0 आर0एस0ई0बी0 नैनवां, प्रमाणित प्रति कार्यवाही विवरण दिनांक 10.08.2007 एवं नकल सीमाज्ञान दिनांक 17.02.1997 मय नक्शा आदि पेश किये।

तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विद्युत विभाग के नाम दर्ज खसरा संख्या 6259/4503 व 6256/4503 को हजफ कर विद्युत विभाग के नाम आवंटित भूमि की तरमीम आवंटन आदेश व कब्जे अनुसार किये जाने पर शेष भूमि ख0सं0 7503/5734 को छोडकर नगरपालिका के नाम है। तरमीम दुरूस्ती आदेश दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। वकील उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में विद्युत विभाग के नाम दर्ज खसरा संख्या 6259/4503 व 6256/4503 को हजफ कर विद्युत विभाग के नाम आवंटित भूमि की तरमीम आवटन आदेश व कब्जे अनुसार किये जाने पर शेष भूमि ख0सं0 7503/5734 को छोड़कर नगरपालिका के नाम है। पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती आदेश दिये जाने पर कोई आपत्ति नही होने का अंकन किया है। जिसको शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नैनवां प्रथम के खसरा संख्या 6256/4503 के स्थान पर 6255/4503 तथा खसरा संख्या 6255/4503 के स्थान पर 6256/4503 का मय रकबे सहित संशोधन वर्तमान राजस्व नक्शे में इन्द्राज तरमीम, दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:10:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः– रीडर/2023/241 दिनांकः– 14.8.23

प्रेषितिः–

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः–न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।
वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 240/प्रा०पत्र/2022
बउनवान नगरपालिका बनाम भूमिधारी
निर्णय दिनांक 24.7.23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः– उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:10:58 IST
Reason: SelfAttested